रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032020-216484
CG-DL-E-02032020-216484

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी , 2020

सा.का.नि. 145(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 में,

(क) उप-नियम (1) में, खंड (क) में, "तीन माह" शब्दों के स्थान पर "पांच माह" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (4) में,-

(i) प्रथम परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि उस व्यक्ति को ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पास करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसने निम्नलिखित में से एक या अधिक में, डाटा बैंक में अपने नाम के समावेशन की तिथि तक, निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में सेवा की हो जिसकी कुल अवधि दस वर्ष से कम न हो:-

(क) सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी; अथवा

(ख) ऐसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी दस करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक हो; अथवा

(ग) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कारपोरेट निकाय:"

(ii) दूसरे परंतुक में, शब्द "कंपनियों" के लिए "कंपनियों या कारपोरेट निकायों" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं-सीएल-2018/4/8 .I, पार्ट-1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 804(अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2020

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, -

(a) in sub-rule (1), in clause (a), for the words "three months" the words "five months" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4),-

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test, when he has served as a director or key managerial personnel, for a total period of not less than ten years, as on the date of inclusion of his name in the databank, in one or more of the following, namely:-

(a) listed public company; or
(b) unlisted public company having a paid-up share capital of rupees ten crore or more; or
(c) body corporate listed on a recognized stock exchange:".

(ii) in the second proviso, for the word "companies", the words "companies or bodies corporate" shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 804(E), dated the 22nd October, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.02 08:44:48 +05'30'